

प्रेस नोट दिनांक 08.10.2025

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस की बड़ी कार्यवाही – कुल 21.85 ग्राम नाजायज नशीला पदार्थ स्मैक बरामद, 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत नर्वदा चौराहा के पास से अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अभियुक्त मो० अकरम के कब्जे से कुल 11.22 ग्राम स्मैक व मो० फिरोज के कब्जे से कुल 10.63 ग्राम स्मैक बरामद किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में मादक पदार्थों की तस्करी एवं नाजायज कारोबार करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई।

30नि0 राकेश चौरसिया मय 30नि0 राजनारायण यादव के मय हमराह हे0का0 गंगासागर जी,का० योगेन्द्र सिंह, का० विकास बाबू, म0का0 सीमा देवी, म0का0 अंजली सिंह द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग, तलाश वांछित/वारण्टी के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत नर्वदा चौराहा के पास से 02 अभियुक्तों, 01. मो० अकरम पुत्र इशितयाक उर्फ नन्हे निवासी ग्राम विष्णुपुर कला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष, 02.मो0 फिरोज उर्फ शूटर पुत्र अलीमुद्दीन निवासी ग्राम लच्छीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को कुल 21.85 ग्राम नाजायज नशीला पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त मो० अकरम के कब्जे से कुल 11.22 ग्राम स्मैक व मो० फिरोज के कब्जे से कुल 10.63 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। अभियुक्तों ने बताया कि हम लोगो के पास स्मैक है जिसे हम लोग बेचने कि फिराक में जा रहे थे कि आप लोगों को देखकर घबराकर भागने लगे थे । अभियुक्तों के कब्जे से उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 358/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम 01- गिरीश मिश्रा पुत्र अखिलेश मिश्रा का अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से 01 स्मार्टफोन सैमसंग

गैलेक्सी व स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसको धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. मो० अकरम पुत्र इशितयाक उर्फ नन्हे निवासी ग्राम विष्णुपुर कला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष ।
02. मो० फिरोज उर्फ शूटर पुत्र अलीमुद्दीन निवासी ग्राम लच्छीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष ।

बरामदगी-

- 01- कुल 21.85 ग्राम नाजायज नशीला पदार्थ स्मैक, 01 स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी व स्पेलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल बरामद ।

पुलिस टीम-

उ०नि० राकेश चौरसिया मय उ०नि० राजनारायण यादव के मय हमराह हे०का० गंगासागर जी, का० योगेन्द्र सिंह, का० विकास बाबू, म०का० सीमा देवी, म०का० अंजली सिंह थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

“नशे का कारोबार समाज को खोखला कर रहा है, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। किसी भी दशा में नशे का धंधा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आमजन से अपील है कि नशा तस्करी या नशा कारोबार की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।”

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना अंतू पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वक्षण में थाना प्रभारी अंतू श्री आनन्द पाल सिंह के पर्वक्षण में थाना अंतू के उ०नि० शैलेश यादव मय हमराह कांस्टेबल संदीप यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 65 (1), 87, 137 (2) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अशोक कुमार पाल पुत्र

रामदुलार पाल निवासी मतउ का पुरवा शुकुलपुर थाना अतू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत चौरा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अशोक कुमार पाल पुत्र रामदुलार पाल निवासी मतउ का पुरवा शुकुलपुर थाना अतू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

30नि0 शैलेश यादव मय हमराह कांस्टेबल संदीप यादव थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर के 30नि0 अखिलेश प्रताप मय हमराह का0 अतुल सिंह के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर वाद सं0 196/23 अ0सं0 388/22 धारा 147/148/149/504/506 307 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त रोहित सिंह पुत्र अरुण सिंह निवासी गायघाट पूरे केशवराय थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.रोहित सिंह पुत्र अरुण सिंह उम्र करीब 25 वर्ष निवासी गायघाट पूरे केशवराय थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

30नि0 अखिलेश प्रताप मय हमराह का0 अतुल सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ के पास मंदिर के समीप से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.09.2025 को वादी निवासी ग्राम दसियापुर, चिलबिला, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ की भांजी घर से निकटवर्ती मंदिर पर जाने की बात कहकर गई, किंतु वापस नहीं लौटी। वादी को आशंका है कि उसकी भांजी को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाया गया है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 444/25 धारा 87/137 (2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में 30नि0 संदीप तिवारी मय कां० दिलीप व म0का0 नीलम राणा द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 444/25 धारा 87/137 (2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ में वाँछित 01 अभियुक्त जहीर खान पुत्र भूरे खान निवासी एल 2/1480 गली नं0 27 संगम बिहार थाना नेब सराय नई दिल्ली उम्र 21 वर्ष को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ के पास मंदिर के समीप से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

जहीर खान पुत्र भूरे खान निवासी एल 2/1480 गली नं0 27 संगम बिहार थाना नेब सराय नई दिल्ली उम्र 21 वर्ष ।

पुलिस टीम- 30नि0 संदीप तिवारी मय कां० दिलीप व म0का0 नीलम राणा थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना अंतू पुलिस द्वारा दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी अंतू श्री आनन्द पाल सिंह के पर्वेक्षण में थाना अंतू के निरीक्षक विनोद कुमार यादव मय हमराह कांस्टेबल बौद्ध प्रकाश,म0का0 ज्योति सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64 (1), 352, 351 (2),बीएनएस व धारा (1) पाक्सो एक्ट थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त विपिन वर्मा पुत्र हरिपाल वर्मा निवासी बीर का पुरवां मजरे कटका मानापुर सण्डवा चन्द्रिका थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र 20 वर्ष को थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत रेलवे स्टेशन अन्तू पश्चिम केवीन से पहले बहेलियापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. विपिन वर्मा पुत्र हरिपाल वर्मा निवासी बीर का पुरवां मजरे कटका मानापुर सण्डवा चन्द्रिका थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र 20 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

निरीक्षक विनोद कुमार यादव मय हमराह कांस्टेबल बौद्ध प्रकाश,म0का0 ज्योति सिंह थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास, मारपीट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.08.2025 को वादी अपने पुत्र एवं पोते के साथ दवा लेने पृथ्वीगंज बाजार जा रहे थे । थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत घाटमपुर के पास पूर्व से घात लगाए बैठे विवेक कुमार तिवारी, नितिन तिवारी, पक्कू पाण्डेय व 02 अज्ञात व्यक्तियों ने लाठी-डंडा व धारदार हथियारों से हमला कर दिया । हमले में वादी का पुत्र गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया तथा वादी को भी चोट आई थी । अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते भाग गए थे । इस संबंध में

वादी की तहरीर के आधार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 धारा 191 (2), 191 (3), 115(5), 351 (2), 109 (1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री विजयकान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात के 30नि0 अजीत सिंह मय हमराह का० रवि प्रकाश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 219/2025 धारा 191 (2), 191 (3), 115(5), 351 (2), 109 (1) बीएनएस थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त विवेक कुमार तिवारी पुत्र स्व० विनोद तिवारी निवासी संसारीपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 40 वर्ष को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चंदीपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. विवेक कुमार तिवारी पुत्र स्व० विनोद तिवारी निवासी संसारीपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 40 वर्ष ।

पुलिस टीम-

30नि0 अजीत सिंह मय हमराह का० रवि प्रकाश यादव थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गड़हा के पास में सड़क दुर्घटना में शव को सड़क पर रखकर जाम लगाने व पुलिस की निष्पक्ष जाँच प्रणाली में बाधा उत्पन्न करना व पुलिस टीम पर पत्थर बाजी कर उत्पात मचाने वाले 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार-

➡गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा परिजनों को भ्रमित करके जनपद का माहौल खराब करने और दंगा भड़काने के उद्देश्य से दिया गया था पत्थर बाजी की घटना को अन्जाम-

प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय के पर्वेक्षण में क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर के 30नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना सांगीपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 69/2025 धारा 191(2)/126(2)/109/121(1)/132/352/351(3)/324(4) बीएनएस व 7 CLA ACT थाना सांगीपुर से संबंधित वाँछित 02 अभियुक्तों, 1. राजेश रजक पुत्र बेचूलाल उम्र करीब 42 वर्ष, 2. दीपक रजक पुत्र बेचूलाल उम्र करीब 28 वर्ष निवासीगण ग्राम कोटवा शुकुलपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. राजेश रजक पुत्र बेचूलाल उम्र करीब 42 वर्ष,
02. दीपक रजक पुत्र बेचूलाल उम्र करीब 28 वर्ष निवासीगण ग्राम कोटवा शुकुलपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

01- राजेश रजक पुत्र बेचूलाल उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम कोटवाशुकुलपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 272/2021 धारा 323/504/506 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
02. मु0अ0सं0 193/2008 धारा 323/504/506 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 69/2025 धारा 191(2)/126(2)/109(1)/121(1)/132/352/351(3)/324(4) बीएनएस व 7 CLA ACT थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

02- दीपक रजक पुत्र बेचूलाल उम्र करीब 28 वर्ष निवासीगण ग्राम कोटवाशुकुलपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 272/2021 धारा 323/504/506 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
02. मु0अ0सं0 69/2025 धारा 191(2)/126(2)/109(1)/121(1)/132/352/351(3)/324(4) बीएनएस व 7 CLA ACT थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

30नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कंधई पुलिस द्वारा दुष्कर्म, आईटी एक्ट, एससी/एसटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कंधई गुलाबचन्द्र सोनकर मय हमराह 30नि0 भूपेशनाथ सिंह, का0 वीकेश मिश्रा, का0 अमित प्रताप, का0 पिंटू द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64(2)(M)/351(2)/351(3)/61(2) बीएनएस व 3(2)V SC/ST ACT व 66 E आईटी एक्ट थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त रविशंकर पटेल पुत्र सूबेदार पटेल उम्र 22 वर्ष नि0 फरीदाबाद थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर को घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाइल एण्ड्राइड के साथ थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत प्रगाशपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रविशंकर पटेल पुत्र सूबेदार पटेल उम्र 22 वर्ष नि0 फरीदाबाद थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर ।

पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक थाना कंधई गुलाबचन्द्र सोनकर मय हमराह 30नि0 भूपेशनाथ सिंह, का0 वीकेश मिश्रा, का0 अमित प्रताप, का0 पिंटू थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ ।